न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सि
आ

प्रकरण संख्याः— 364/2022

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व नाम एयू फाईनंसर्स (इण्डिया)लि0) रजि. कार्यालय 19—ए, धुलेश्वर
अजमेर रोड, जयपुर—302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छितरमल उम्र 38
—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. उत्तम कुमार पुत्र जगमाल, उम्र 26 साल,
2. सरोज देवी पत्नि उत्तम कुमार, उम्र 6 साल,
3. जगमाल पुत्र गणेश, उम्र 57 साल,
4. चन्द्रभान यादव पुत्र श्रीराम, उम्र 53 साल,
निवासीगण ग्राम पुहानिया, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333516

—— अप्र

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

——

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा— प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 13.0

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण मे उनके आवेदन पर केडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लो पेटे 5,00,000/— रूपये अक्षरे पांच लाख रूपये की ऋण सुविधा खाता सं0 L9001060113 दिनांक 13.06.2017 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक द निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि प्र[illegible] प्रतिभूति आस्ति से रक्षि अचल संपत्ति प्रोपर्टी आबादी भूमि का पट्टा, पट्टा न[illegible] पुहानिया, ग्राम पंचायत पु पंचायत समिति एवं तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं नपति 193[illegible] Sq.Yrd. (वर्गगज) अप्रार्थी
के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहद्दी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

पूरब	सम्पत्ति सुण्डाराम अहीर	पश्चिम	आम रास्ता 15 फीट
उत्तर	मकान शिवपाल अहीर	दक्षिण	मकान राजपाल अहीर

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रा द्वारा दिनांक 09.07.2022 को (NPA) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया ग प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 12.07.2022 द्वारा अं0 धारा 13(2) वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दि बकाया ऋण राशि 1,90,639/रूपये अक्षरे एक लाख नब्बे हजार छः सौ उन्नचालीस रूप ब्याज व खर्चा दिनांक 09.07.2022 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनि

धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक क
करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त
अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष
है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है– अचल संपत्ति प्रोपर्टी आबा
का पट्टा, पट्टा नं0 01, ग्राम पुहानिया, ग्राम पंचायत पुहानिया, पंचायत समिति एवं तहसील
जिला झुंझुनूं नपति 193.96 **Sq.Yrd.** (वर्गगज) अप्रार्थी जगमाल के मालिकाना हक की
जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है–

पूरब	सम्पत्ति सुण्डाराम अहीर	पश्चिम	आम रास्ता 15 फीट
उत्तर	मकान शिवपाल अहीर	दक्षिण	मकान राजपाल अहीर

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्याया
अधिकरण द्वारा रोक नही है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तु
निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बै
दिलवाया जावें जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली
सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ
पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया ग
अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र
कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का
स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे
अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही। अप्रार्थीगण
लगायत 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना
साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी
ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0
अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये ज
पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगता
किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋ
भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्
अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्च
अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया ग
पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फा
बैंक लि0 के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है।
अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0
प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रकशन
फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

अचल संपत्ति प्रोपर्टी आबादी भूमि का पट्टा, पट्टा नं0 01, ग्राम पुहानिया, ग्राम पंचायत पुहा पंचायत समिति एवं तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं नपति 193.96 Sq.Yrd. (वर्गगज) जो कि अ सं0 3 जगमाल के मालिकाना हक की है का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फा बैंक लि0 के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ग

(एल0एस0कुर्ड
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट, झु

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested